

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार / केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी - श्री गोपाललाल स्वर्कार
श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

दायर दि० 3-5-18
फैसल दि० 3-5-18

करण संख्या / / 2018

श्री अनवान
बनाम
श्री राजेन्द्रसिंह / अमरसिंह
राजपूत स्वरोदा
(वादी)

श्री भूमिधारी तहसीलदार
सागवाडा
(प्रतिवादी)

वादी श्री राजेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह राजपूत ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा स्वरोदा के खाता नम्बर 858 जमाबन्दी सं० 2073-76
में अंकित स्वयं/पिता का नाम राजेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह राजपूत
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्रसिंह
अमरसिंह राजपूत है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम
दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम राजेन्द्रसिंह पिता अमरसिंह
राजपूत कि स्वरोदा होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दृसागवाडा/गलियामकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा स्वरोदा की जमाबन्दी संवत 2073-76
के खाता संख्या 858 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम राजेन्द्रसिंह / अमरसिंह राजपूत स्वरोदा में संशोधन कर सही नाम
दर्ज रेकार्ड किया जावे ।

निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जिला इंगरपुर (राज.)
सागवाडा